

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला-भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी:- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 42/2018 राजस्व वाद

अनवान प्रकरण

श्री भंवरलाल आत्मज महाराम गुर्जर उग्र बालिग निवासी रेह, तहसील करेडा, जिला
भीलवाड़ा (राज0)

---वादी।

बनाम

- 1-श्रीमति निहालकंवर पुत्री समतसिंह राजपूत उग्र बालिग निवासी रेह, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा।
 - 2-श्री भैरूसिंह आत्मज रामसिंह राजपूत उग्र बालिग नि0 रेह, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा।
 - 3-श्रीमति दयालकंवर पुत्री रामसिंह राजपूत उग्र बालिग नि0रेह तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा।
 - 4-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाड़ा।
- प्रतिवादीगण।

वाद पत्र बाबत अंतर्गत धारा 53-54 राज.का.अधि.बाबत विभाजन आराजियात।

उपरिथत:-

- 1-श्री मुकेश जैन -
- 2-प्रतिवादीगण -

अधिवक्ता-वादी।
एक पक्षीय कार्यवाही।

:: निर्णय ::

दिनांक 18.08.2020

तहसीलदार करेडा से प्रारंभिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रकरण में बहस एक तरफा समाहित की गई तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रेह पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेडा की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(1) खातेदार का नाम-भंवरलाल पिता महाराम गुजर निवासी रेह खातेदार।

क्र.स.	आ0न0	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान
1	663	5.08 बीघा	-	-
2	1322/678	1.17 बीघा	-	-
किता	2	7.05 बीघा	-	-

अधिकारी पदेन
कलक्टर करेडा

(2) खातेदार का नाम-रामेश्वरलाल पिता भंवरलाल गुजर निवासी रेह खातेदार।

क्र.स.	आ0न0	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान
1	1399 / 678	0.16 बीघा	-	-
2	1322 / 678	0.05 बीघा	-	-
किता	2	1.01 बीघा	-	-

(3) खातेदार का नाम-भैरूसिंह 3 / 14 मेघसिंह, दयालकंवर 4 / 14 पिता रामसिंह, शिवसिंह पिता सगतसिंह (उर्फ शक्तिसिंह) 1 / 2 राजपूत निवासी रेह खातेदार।

क्र.स.	आ0न0	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान
1	714 / 1	1.10 बीघा	-	-
2	1222	0.15 बीघा	-	-
किता	2	2.05 बीघा	-	-

(3) खातेदार का नाम-भैरूसिंह, मेघसिंह, दयालकंवर पिता रामसिंह राजपूत निवासी रेह खातेदार।

क्र.स.	आ0न0	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान
1	663 / 1	5.08 बीघा	-	-
किता	1	5.08 बीघा	-	-

उक्तानुसार डिक्री जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।
आज यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(महीपाल सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिवक्ता अधिकारी हाथवेक कलक्टर
सहायक जिला अधिकारी हाथवेक